न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः– 149 / 2024
निर्णय दिनांकः– 16.01.2025
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. जवाहर लाल दत्तक पुत्र बालू, पुत्र रामलाल जाति जाट, निवासी ग्राम चकवाडा, तहसील फागी जिला दूदू राज.।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांकः–16.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 213 के आराजी खसरा नं. 1165 / 1 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खसरा नं. 1192 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, खसरा नं. 169 रकबा 2.8578 हैक्टेयर, खसरा नं. 2098 / 1 रकबा 1.3151 हैक्टेयर, खसरा नं. 2098 / 2 रकबा 1. 0748 हैक्टेयर, खसरा नं. 2100 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, खसरा नं. 2101 रकबा 1.7703 हैक्टेयर, खसरा नं. 346 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नं. 348 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, खसरा नं. 350 रकबा 0.4552 हैक्टेयर, ख.नं. 528 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, ख.नं. 529 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, खसरा नं 530 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, खसरा नं. 531 खसरा नं. 806, स्कवा 1.6430 खसरा नं. 528 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा रकबा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नं. 803 रकबा 1.8968 हैक्टेयर, ख.नं. 806 रकबा 1.6439 हैक्टेयर, खसरा नं. 887 रकबा 0.7713 हैक्टेयर, खसरा नं. 890 रकबा 2.5416 हैक्टेयर, कुल किता 18 कुल रकबा 17. 5134 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चकवाडा, पटवार हल्का चकवाडा, भू. अभि. क्षेत्र चौरू, तहसील फागी, जिला दूदू में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज सम्पूर्ण पर काबिज काश्त है एवं मौके पर काबिज काश्त है लगान सरकारी जमा कराता आ रहा है। 2 यह कि उक्त विवादग्रस्त आराजी वादी की पैतृकि सम्पत्ति है एवं स्व. बालू जो कि वादी के पिताजी थें वादी के पिता के फौत होने पर वादी के नाम विरासत से दर्ज किया गया है जबकि विरासत के

लगातार..........................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

नामान्तकरण में वादी का नाम जूवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का रिकार्डेड असल नाम जवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल है जबकि जूवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल व जवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल नाम का एक ही व्यक्ति है इस नाम का ग्राम चकवाडा में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। उक्त विवादग्रस्त आराजी पर पूर्व में वादी के पिता स्व. बालू काबिज काश्त थें उनकी फौती पर उनका कानूनी वारिस वादी अपनी उक्त खातेदारी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी को बडे–बुढे जूवाहरलाल के नाम से बोलते थे इसलिए वादी के पिता की फौती पर वादी के बोलते नाम से ही फौती का नामान्तकरण खोल दिया गया है। वादी के पिता की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय मजमेआम में नाम की सही जाँच नहीं कर व वादी के परिवार वालों से स्व. बालू के वारीसों के सही नामों की जानकारी नहीं की एवं वादी स्वयं उस समय बाहर कमाने खाने गये हुये था इसलिए वादी के बोलते नाम से ही नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया है इस प्रकार स्व. बालू की विरासत के नामान्तकरण के रिकार्ड के अनुसार ही वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो गया जिसकी जानकारी वादी को नहीं रही जबकि अन्य दस्तावेज व रिकार्ड में वादी का सही नाम जवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल दर्ज करवा रखा है। वादी जूवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल जाति जाट नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम चकवाडा में नहीं है बल्कि वादी के सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक से पूर्णतया सिद्व होता है कि उक्त का नाम जवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल है इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है। वादी ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जो खेतीहर व्यक्ति है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है जिसको राजस्व रिकार्ड में राज कर्मचारीयों द्वारा अपना गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है अभी हाल ही में दिनांक 18/12/2024 को पटवारी हल्का से जमाबंदी, गिरदावरी लेने हेतु सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया की राजस्व रिकार्ड में आपका का नाम ही जूवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल दर्ज है इस प्रकार वादी को अपने नाम गलत दर्ज होने की जानकारी हुई वादी उक्त गलती को दुरूस्त करवाने के लिए जब प्रतिवादी सं. 1 के पास गया तो दिनांक 19/07/2024 को प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त गलती को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं सक्षम मान्य न्यायालय में चाराजोही करने के लिये कहा इसलिये यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लाजमी हुआ है। स्व. बालू का विरासत का नामान्तकरण खोलते समय वादी बाहर चले जाने के कारण एवं कानून की जानकारी नहीं होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम को गलत दर्ज कर दिया गया एवं जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं दुरूस्ती के लिये उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त आराजी वादी की पैतृकि सम्पत्ति है

लगातार..................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

जिसके राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त नहीं किया गया तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 1 राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त अवधि वेव फरमाई जाकर न्यायालय की अनुमति से उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी को वाद कारण दिनांक 19/12/2024 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी का नाम को दुरूस्त करने से इंकार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त वाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद वादी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकार का निवास स्थान विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से वाद का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जवाब नहीं देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वाके ग्राम चकवाडा मे स्थित है। उक्त विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 213 में वादी नाम हिस्सा पूर्ण दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 01 पैरोकार सरकार ने उक्त वाद को डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे न्यायालय वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 213 के आराजी खसरा नं. 1165/1 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खसरा नं. 1192 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, खसरा नं. 169 रकबा 2.8578 हैक्टेयर, खसरा नं. 2098/1 रकबा 1.3151 हैक्टेयर, खसरा नं. 2098/2 रकबा 1. 0748 हैक्टेयर, खसरा नं. 2100 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, खसरा नं. 2101 रकबा 1.7703 हैक्टेयर, खसरा नं. 346 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नं. 348 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, खसरा नं. 350 रकबा 0.4552 हैक्टेयर, ख.नं. 528 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, ख.नं. 529 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, खसरा नं 530 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, खसरा नं. 531 खसरा नं. 806, स्कवा 1.6430 खसरा नं. 528 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा

लगातार..................4

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी जयपुर जिला जयपुर

रकबा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नं. 803 रकबा 1.8968 हैक्टेयर, ख.नं. 806 रकबा 1.6439 हैक्टेयर, खसरा नं. 887 रकबा 0.7713 हैक्टेयर, खसरा नं. 890 रकबा 2.5416 हैक्टेयर, कुल किता 18 कुल रकबा 17.5134 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चकवाडा तहसील फागी में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन जूवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल के स्थान पर जवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/1/25

(राकेश कुमार ॥
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला, जयपुर

सत्यमेव जयते

जवाहर लाल बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 149 / 2024
निर्णय दिनांकः– 16.01.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. जवाहर लाल दत्तक पुत्र बालू, पुत्र रामलाल जाति जाट, निवासी ग्राम चकवाडा, तहसील फागी जिला दूदू राज.।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादी

–:: वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मु0न0:– 149 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री मुकेश चौधरी हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 213 के आराजी खसरा नं. 1165 / 1 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खसरा नं. 1192 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, खसरा नं. 169 रकबा 2.8578 हैक्टेयर, खसरा नं. 2098 / 1 रकबा 1.3151 हैक्टेयर, खसरा नं. 2098 / 2 रकबा 1. 0748 हैक्टेयर, खसरा नं. 2100 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, खसरा नं. 2101 रकबा 1.7703 हैक्टेयर, खसरा नं. 346 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नं. 348 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, खसरा नं. 350 रकबा 0.4552 हैक्टेयर, ख.नं. 528 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, ख.नं. 529 रकबा 0. 1770 हैक्टेयर, खसरा नं 530 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, खसरा नं. 531 खसरा नं. 806, स्कवा 1.6430 खसरा नं. 528 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा रकबा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नं. 803 रकबा 1.8968 हैक्टेयर, ख.नं. 806 रकबा 1.6439 हैक्टेयर, खसरा नं. 887 रकबा 0.7713 हैक्टेयर, खसरा नं. 890 रकबा 2.5416 हैक्टेयर, कुल किता 18 कुल रकबा 17.5134 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चकवाडा तहसील फागी में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन जूवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल के स्थान पर जवाहरलाल दत्तक पुत्र बालू पुत्र रामलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।

................खर्चा इस मुकदमे निज................मुबलिग................बाबत................सालाना आज की तारीख से तारीख के मय सूद बशरह ....फीसदी................ अदायगी तक ....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.01.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी
ओहदा .... फागी, जयपुर

सत्यमेव जयते

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर